प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर 2024*

विषय:- केन्द्रीय कारागार,नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जब उर्फ रज्जाक पुत्र श्री रहीम, निवासी जनपद-बांदा की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र सं0-28204/प्रो(6)/229(गांधी जयंती 2023), दिनांक 13.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार,नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दीरज्जब उर्फ रज्जाक पुत्र श्री रहीम, ग्राम डीघवट,थाना-चिल्ला, जनपद-बांदा वर्तमान पता-मोहल्ला अलीगंज, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-बांदाहै। बंदी द्वारा दिनांक 15.04.1981 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद के कारण गोली मारकर नर्पत सिंह, राम लखन सिंह, राम शरन सिंह, उदयवीर उर्फ मुन्नी तथा श्रीमती रामदुलारी नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी।

उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-222/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश,फतेहपुर के आदेश दिनांक 28.11.1997द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया,जिसे मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.12.1998 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 28-07-2004 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.10.2023 तक 25 वर्ष 06 माह 05 दिन की अपरिहारसजा तथा 34 वर्ष 06 दिन की सपरिहारसजा भोगी गयी है। बंदी द्वारा सामूहिक नरसंहार करते हुए 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत दयायाचिका समिति द्वाराशासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01.08.2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बंदी रज्जब उर्फ रज्जाक पुत्र रहीम की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार,नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दीरज्जब उर्फ रज्जाक (बन्दी संख्या-2140/00) पुत्र श्री रहीम, निवासी जनपद-बांदा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-193/2024/3626(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार,नैनी, प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-87/2021 मुरारी लोध व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 16-11-2021 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वाद में तद्नुसार अनुपालन आख्या भी दाखिल कराने का कष्ट करें।

4- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित सी0आर0एल0पी0-5019/2024 रज्जब उर्फ रज्जाक बनाम मुख्य सचिव उ0प्र0 राज्य लखनऊ व अन्य में मा0 न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 16-07-2024 के सन्दर्भ मेंइस आशय के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत वाद में तद्नुसार अनुपालन आख्या दाखिल कराने का कष्ट करें।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।